

प्रति I
12/12/21

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक :- प.10(20)आयु./2020

जयपुर, दिनांक 06 DEC 2021

आदेश:-

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित शिष्य विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 25.11.2021 की अनुशांका के आधार पर राजस्थान यूनानी सेवा के सहायक निदेशक(यूनानी)/चरिष्ठ यूनानी चिकित्साधिकारी ग्रेड-II (अन्तर परियर्तनीय एवं वेतनमान-पे मैट्रिक्स लेवल-15) के वर्ष 2018-19 के कार्यवाही विवरण दिनांक 15.09.2020 में स्थगित (डेफर) रखे गये पदों पर चयन हेतु शिष्य पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 07 में अंकित रिक्ति के विरुद्ध बरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है:-

क.स.	नाम सहायक निदेशक (यूनानी)/ चरिष्ठ यूनानी चिकित्साधिकारी ग्रेड-II	सर्ग	जन्म दिनांक	पात्रता क्रमांक	01.10 की बरिष्ठता सूची में बरिष्ठता क्रमांक	रिक्ति तिथि
1	श्री मो. अकमल/ रशीद अहमद	GEN	15-07-1984	71	71	01-04-2018

नोट:-

- कार्मिक (क-2) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उक्त अधिकारी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगी। निदेशक, यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर यह सुनिश्चित करें कि इस आशय का संबंधित कर्मचारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जायें।
- उक्त अधिकारी पदोन्नति पर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर 10 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर लेवें अन्यथा स्वेच्छा से परित्याग (फोरगो) माना जावेगा।
- विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है, किन्तु पदोन्नति का नगद लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होगा।

आदेश से,
Am3p
(आर.पुन.कमि)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल- DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांक: प्रति.1/22/एसएमओ II/डीपीसी/2021-22/3621-25

दिनांक:-06.12.2021

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- उप शासन सचिव, आयुष विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- कुल सचिव, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
- प्राचार्य, यूनानी कॉलेज ऑफ टोक।
- संबंधित यूनानी चिकित्साधिकारी को देकर लेख है कि वर्तमान पदस्थापन स्थान पर आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस में कार्यग्रहण कर निदेशालय में कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें, अन्यथा स्वेच्छा से परित्याग (फोरगो) माना जावेगा।
- नोडल अधिकारी निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग जयपुर को देकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
- रक्षित पत्रावली।

(डॉ. फय्याज अहमद)
निदेशक